लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्युब्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् इंडक्शन फर्नेस विथ सीसीएम टू प्रोड्यूस एमएस इंगाट्स/बिलेट्स क्षमता–34,600 टन/वर्ष से 1,20,000 टन/वर्ष, रोलिंग मिल टू प्रोड्यूस एमएस रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–34,600 टन/वर्ष से 1,20,000 टन/वर्ष, एमएस पाईप एण्ड ट्युब्स मिल क्षमता–34,600 टन/वर्ष से 1,20,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्युब्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् इंडक्शन फर्नेस विथ सीसीएम टू प्रोड्यूस एमएस इंगाट्स/बिलेट्स क्षमता–34,600 टन/वर्ष से 1,20,000 टन/वर्ष, रोलिंग मिल टू प्रोड्यूस एमएस रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–34,600 टन/वर्ष से 1,20,000 टन/वर्ष, एमएस पाईप एण्ड ट्युब्स मिल क्षमता–34,600 टन/वर्ष से 1,20,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लोक सुनवाई कराने बाबत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया था। दैनिक भास्कर तथा हिंदुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 02 सितम्बर 2018 दिन रविवार को समय प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल ग्राम पंचायत भवन सरोरा, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला रायपुर में नियत की गई थी। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई थी।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 02 सितम्बर 2018 को अपर कलेक्टर, जिला–रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डा0 एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, जनप्रतिनिधी एवं स्थानीय नागरिक आदि लगभग डेढ़ सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 12:00 बजे प्रारंभ की गई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक – 01 अनुसार है।
3. डा0 एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी ने प्रस्तावित प्ररियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदया से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।
4. अपर कलेक्टर महोदया डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।
5. श्रीकांत ब्यौहारे (मेसर्स, एनॉकान लेबोरेटरी प्रा. लिमिटेड, नागपुर) परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी

अंतर्गत मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्युब्स प्राईवेट लिमिटेड 1995 से इस्पात क्षेत्र में कार्यरत होने एवं इकाई की उत्पादन क्षमता 34,600 टन/वर्ष होने की जानकारी दी गई व व्यापार विस्तार हेतु मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्युब्स प्राईवेट लिमिटेड ने उरला औद्योगिक परिसर रायपुर के ग्राम सरोरा इसके संबंधित रि–रोल्ड स्टील उत्पादन क्षमता 34,600 टन/वर्ष से 1,20,000 टन/वर्ष विस्तार की योजना के संबंध में जानकारी दी गई। इस विस्तार के बाद रि–रोलिंग मिल की क्षमता 1,20,000 टन/वर्ष होगी, जिसमें से 1,08,000 टन/वर्ष हॉट चार्जिंग स्टील रोलिंग मिल जो कि इण्डक्शन फर्नेस एवं सी.सी.एम. के साथ जुड़ा होगा से उत्पादित होगी। शेष 12,000 टन/वर्ष रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट मौजुदा पारंपरिक स्टील रि–रोलिंग मिल के माध्यम से उत्पादन किया जायेगा। उत्पादित पाईप्स या ट्यूब्स गैल्वेनाईजिंग यूनिट में 34,600 टन/वर्ष या तो गैल्वेनाईज्ड रूप में या इसके बिना निर्माण इकाई में 34,600 टन/वर्ष (मौजूदा सम्मति के अनुसार) के लिये फैब्रिकेटेड स्टील उत्पादों का निर्माण किये जाने तथा स्टील स्ट्रिप्स, सी.टी.डी.बार, एम.एस.फ्लैट, स्टील ट्यूब, एम.एस.लाईनर बार, एम.एस.इंगाट, हिंजेस, स्कैफोडिंग की उत्पादन क्षमता 34,600 टन/वर्ष से बढ़कर 1,20,000 टन/वर्ष होने की जानकारी दी गई तथा क्षमता विस्तार मौजूदा बिलेट रि–हीटिंग फर्नेस पर आधारित रोलिंग मिल से रि–रोल्ड प्रोडक्ट के उत्पादन को 34,600 टन/वर्ष से 12,000 टन/वर्ष तक कम किया जायेगा। पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं तदनंतर संशोधन के अनुसार प्रस्तावित परियोजना श्रेणी बी.–1 अनुसूची 3(अ) के अंतर्गत आने तथा एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होने संबंधी जानकारी दी गई तथा प्रस्तावित विस्तार क्षमता में कोयले का उपयोग वर्तमान से कम करने के कारण आधारभूत वायु उत्सर्जन गुणवत्ता में सुधार होना बताया गया। परियोजना की पहचान परियोजना स्थल के अध्ययन क्षेत्र, परियोजना स्थल की मुख्य विशेषतायें, महत्वपूर्ण संसाधन की आवश्यकता जिसके अंतर्गत प्रस्तावित विस्तार परियोजना मौजूदा भूमि कुल 2.66 हेक्टेयर पर प्रस्तावित होने तथा यह भूमि सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा लीज के माध्यम से अधिग्रहित किये जाने जिसमें खसरा क. 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821ए, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835ए, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848ए होने की जानकारी दी गई तथा भूमि का कुल 33 प्रतिशत अर्थात 0.9 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अंतर्गत रहना बताया गया। कच्चे कोयले की आवश्यकता, स्त्रोत एवं परिवहन के साधन, ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति एवं प्रबंधन, जल की आवश्यकता एवं स्त्रोत, विद्युत की आवश्यकता एवं स्त्रोत, मानव श्रम की आवश्यकता, अग्निशमन सुविधायें, आधारभूत पर्यावरणीय अध्ययन, वायु गुणवत्ता की स्थिति, ध्वनि स्तर, जल गुणवत्ता, मृदा गुणवत्ता, 10 कि.मी. परिधि के संबंध में तथा भूमि का उपयोग एवं भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली, जैविक पर्यावरण, सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण, 10 कि.मी. अध्ययन क्षेत्र की परिधि में शिक्षा सुविधाओं के विषय एवं विवरण, अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का तुलनात्मक विश्लेषण (2001 व 2011), पर्यावरणीय प्रभाव व पूर्वानुमान तथा उनको कम करने की उपाय योज़ना, वायु की गुणवत्ता, ध्वनि स्तर, जल पर्यावरण, वाहनों के आवागमन, जैविक पर्यावरण, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय निरीक्षण कार्यक्रम, जोखिम

मूल्यांकन एवं आपदा प्रबंधन योजना, प्रस्तावित परियोजना से लाभ, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना एवं व्यवस्थापन के संबंध में जानकारी दी गई तथा निष्कर्ष अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण व शमन उपायों के विवेक पूर्ण व उचित कार्यान्वयन से प्रस्तावित विस्तार परियोजना से मौजूदा प्रदूषण स्तर में वृद्धि नहीं होने किंतु समाज को लाभ होने के साथ ही कुछ हद तक स्टील की मांग व आपूर्ति के अंतर को कम करने में मदद मिलने जिससे क्षेत्र व साथ ही देश के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा, बताया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्रीं प्रेमलाल साहू (सरोरा) ने कहा कि
बहुत अच्छा बीड़ा उद्योग ने उठाया है। पर्यावरण प्रदूषित कर रहे उद्योग सिमप्लेक्स द्वारा पर्यावरण को उखाड़ कर कांक्रीट किया गया है। मैंने इसकी शिकायत भी की है। सिमप्लेक्स जो कि चूरा का निर्माण कर रहे है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिये नुक्सानदायक है। मैं अपर कलेक्टर महोदया से निवेदन करता हूँ कि सिमप्लेक्स द्वारा कांक्रीट को उखाड़कर वृक्षारोपण किया जाये तथा चूरा का निर्माण बंद किया जाये। विषय पर्यावरण का है। जिसकी ज़मीन निकली है उसे रोज़गार मिले, हमारे पांच गांवों में उद्योग लगाया गया है, लेकिन पचास बार दौड़ने के बाद भी नौकरी नहीं दी गई है। जिन भूमि स्वामियों की भूमि उद्योग द्वारा ली गई है, उन भूमि स्वामी के परिवारों को संबंधित उद्योगों में नौकरी मिले। पर्यावरण पर उचित कार्यावाही की जाये।

2. श्री विपिन कुमार शुक्ला (सरोरा) ने कहा कि
हॉट चार्जिंग से रि–रोल्ड प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। विद्युत से उत्पादन की बात की जा रही है। इलेक्ट्रीसिटि द्वारा उत्पादन से कोई प्रदूषण नहीं होता है। परियोजना विद्युत आधारित है।

3. श्री राजेश सिंह राठौर (सरोरा) ने कहा कि
इण्डस्ट्रीयल डेव्हलेपमेंट हो रहा है, सुविधायें एवं रोजगार मिलेगा। विकास से क्षेत्र का विकास होगा। सुविधायें मिलेगी मैं इसका समर्थन करता हूँ।

4. श्री द्वारिका प्रसाद साहू (सरोरा) ने कहा कि
उद्योग लगता है, रोजगार मिलता है, लेकिन जो प्रदूषण होता है इसके लिये फैक्ट्री में ई.एस.पी. मशीन लगाना चाहिये। मैं इंजीनियर की पढ़ाई किया हूँ। ई.एस.पी. लगाकर चलाना चाहिये।

5. श्री धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि
मैं सात साल पहले बेरोजगार था। 5 से 10 कंपनियों में गया, मुझे रोजगार नहीं मिला। कृष्णा ऑयरन में मुझे रोज़गार मिला। मेरी पत्नी को ट्यूमर हो गया था, जिसके ईलाज हेतु मुझे 20–25 हजार रूपये की मदद कृष्णा ऑयरन ने की। कृष्णा ऑयरन 24 घंटे कभी बंद नहीं होगा। ओवर टाईम दिया जाता है। हजारों लोग रोजगार पा रहे है।

6. श्री उमेश कुमार साहू ने कहा कि
यहां पर्यावरण बचाव विषय है। यहां पर्यावरण है ही नहीं। हमारी ग्राम सभा सबसे बड़ी है, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, अतः इसको उरला इण्डस्ट्रीयल ग्राम सरोरा नाम दिया गया। हमारा निवेदन है कि इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला का नाम हटाकर इण्डस्ट्रीयल एरिया सरोरा नाम रखना चाहिये। तालाब को स्वरूप दिया गया है। तालाब के सौंदर्यीकरण करवाया जाये। हमारे ग्राम को स्वच्छ भारत से स्वच्छ ग्राम बनाने के लिये आप सभी का सहयोग करें। आप सभी लोगों का आर्शीवाद भी आवश्यक है। हमारे गांव में दो तालाब है। तालाब में गंदगी है। जन सहयोग में सभी का विकास होना चाहिये। 900 एकड़ जमीन गांव वालों द्वारा निकाली गई, लेकिन घर के सदस्य को नौकरी नहीं मिली। एक घर के एक व्यक्ति को नौकरी मिलना अनिवार्य है। किसानों द्वारा 9000 रूपये में जमीन सिमप्लेक्स को दिया गया। किसानों को मुआवजा नहीं मिला, लोग हलाकान, परेशान हो गये है। कचरे के लिये 50 रूपये की पर्ची थमाई जाती है, जबकि निगम द्वारा 80 रूपये लिया जा रहा है, इसे बंद कराया जावे। तालाब में गंदगी फैली हुई है। इसकी सफाई व सौंदर्यिकरण कराया जावे। जन प्रतिनिधियों को उपर से सहयोग मिलना चाहिये, समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाना चाहिये, राशन कार्ड नहीं मिला है, पति के गुजरने के बाद पेंशन नहीं मिली है, विधवा पेंशन मिलना चाहिये। मेरे पिताजी को पांच साल गुजरे हो गया है, माँ को पेंशन नहीं मिली है, नेता लोग घुमा के चले जाते है। जन समस्या ऐसी है कि डेंगू फैल रहा है, झाडू वाले आते है, कचरा रोड पर पड़ा रहता है, हर हफ्ते सफाई होना आवश्यक है, जन समुदाय की समस्या का निवारण होना चाहिये।

7. श्री सुदंर लाल भूतपहरी ने कहा कि
कंपनी को बड़े बड़े पौधे लगाना जरूरी है। तब प्रदूषण से बचेंगें। दिखावा से नहीं होगा काम, यहां इनक्वारी की जाये। सुबह–सुबह घुमने जाता हूँ, कंपनी से धुंआ निकलता रहता है। हमारे गांव में इतनी कंपनियां है, यहा कॉलेज, हाई स्कूल होना चाहिये। कंपनी वाले सहयोग करे।

8. डा0 प्रीत साहू (पार्षद सरोरा) ने कहा कि
कंपनी मेसर्स कृष्णा ऑयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा 5,00,000 रूपये विकास में लगाये जाने हेतु पढ़ा गया है। कृपया इसका ईमानदारी से पालन किया जावे, कलेक्टर महोदय ध्यान रखे कि इसका पालन किया जाता है अथवा नहीं। कहते है कि 1700 पेड़ लगाये गये है, लेकिन 100 पेड़ दिखा दे। घास भूमि का भी उद्योग द्वारा कब्जा किया जाता है, जिसे रोका जावें। जो पढ़ा गया है उसका ईमानदारी से पालन किया जावे। गांव के पढ़े–लिखे युवाओं को रोजगार दे, फैक्ट्री की जरूरत सबको है। बहुत सारी फैक्ट्री नियमों का पालन नहीं करती है। कृपया पालन करवाया जावे।

9. श्री बसंत साहू (सरोरा) ने कहा कि
जो फायदा गांव के लोगों को मिलना चाहिये, नहीं मिलता है। फैक्ट्री की आमदनी में क्या फायदा होता है, 350 वर्कर काम करते है। गांव के लोकल लोगों को रखिये, जो अनपढ़ है उन्हे सिखाईये। उसके बाद बाहर के लोगों को काम पर रखिये। योग्यता

नहीं है, बताया जाता है कृपया ध्यान दिया जावे। कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि नियमों का पालन नहीं करने पर फैक्ट्री को नोटिस दे। जनमाष्टमी आदि पर हेतु शेड़ बनाया जावे।

10. श्री दिलीप साहू (सरोरा) ने कहा कि
साल में 5 लाख रूपये कंपनी द्वारा दिया जावेगा, क्या देंगे। शासकीय स्कूल में 1000 लोग है। शासकीय स्कूल से पढ़ने के बाद लोग मजदूर क्यों होते। शासकीय स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर प्राईवेट स्कूल से ही पढ़ के आये है। सी.एस.आई.डी. में 9000 रूपये की दर से जमीन निकली है, मैं पांचवी पढ़ा हूँ, मैं शासकीय स्कूल में बच्चे को पढ़ाया हूँ। 5000 रूपये से स्कूल में पढ़ाने वाले युवाओं को 10,000 रूपये प्रतिमाह दें, शिक्षा की कमी है। मध्यान भोजन आता है। इण्डस्ट्री द्वारा भी व्यवस्था की जावे। अच्छी बात है, कृष्णा ऑयरन इतनी कम जमीन में उद्योग बढ़ा रहे है। अभी कितने पौधे होंगे। झाबक पेट्रोल पम्प से बजरंग एलॉयस तक 10 झाड़ नहीं मिलता है। 1,000 एकड़ जमीन निकलने के बाद लोग काम पर जा रहे है। सरोरा की दशा सी.एस.आई.डी.सी. खराब कर दिया है। 5,00,000 रूपये शिक्षा हेतु दिया जाकर 10,000 रूपये प्रतिमाह में स्कूल के शिक्षक को रखा जावे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। अच्छी बात है आप फैक्ट्री बढ़ाओ पर गांव का विकास करो।

11. श्री भागवत साहू (पूर्व पार्षद) ने कहा कि
ए.के.वी.एन. द्वारा उद्योग के लिये जमीन ली गई थी। जब गांव की जमीन बिकी थी उस समय जमीन मालिकों को नौकरी देने की बात कही थी। लेकिन आजतक नौकरी नहीं मिली। फैक्ट्री लगे अच्छी बात है। कृष्णा ऑयरन ग्रोथ कर रही है। वूलवर्थ से जो लोग निकाले जा रहे है, हम पूछना चाहते है कि क्या कृष्णा ऑयरन उन्हें नौकरी पर रखेगी ? हम गुजरते है तो केमिकल की बदबू आती है, निवेदन है कि उसका डायल्यूशन करे। भारी वाहन न आने हेतु कार्यवाही की जावे।
गाड़ियों की आवागमन पर ध्यान रखा जावे।

12. श्री योगेन्द्र कुमार साहू ने कहा कि
एजुकेशन होगा तो रोजगार मिलेगा। इण्डस्ट्री क्यो है, रोजगार दे। इण्डस्ट्री वालों को बिजनेस ग्रोथ के लिये हायर एजुकेशन चाहिये, ग्रामवासियों को समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा, एकजुट होके चलना पड़ेगा। फैक्ट्री वालों को हायर एजुकेशन देना चाहिये। यदि कोई समस्या है, चाहे प्रदूषण की हो तो सबको साथ होना पड़ेगा।

13. श्री लेखराम साहू (पार्षद) ने कहा कि
हमें अवगत कराया गया, यह एक अच्छी पहल है। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी है। हर चीज के दो पहलु है, यदि फैक्ट्री है तो प्रदूषण होगा। बेरोजगारों को रोजगार दें। 5,00,000 रूपये जो पढ़ कर सुनाया गया है, उसका ईमानदारी से फॉलो करे। ऐसा अवसर नहीं मिलता है, जो खुलकर बोलते है। जनमानस की समस्या स्कूल एवं तालाब की है। यह एक अच्छी पहल है, ग्रामवासियों को अवगत कराया गया।

14. श्री गणेश जोगी (पार्षद वार्ड नं.–39) ने कहा कि
पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जो नियम बनाया गया है, उसका पालन उद्योग नहीं करते है। तालाब का गहरीकरण, वृक्षारोपण करने में उद्योगपति रो पड़ते है। उद्योगपति बोलते है कोई नियम नहीं है, हम चाहते है नियम हो। हमारे क्षेत्र में 300 से 350 उद्योग होंगें, लेकिन एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जो हमारे गांव को गोद लेना चाहता है। राधा कृष्ण एग्रोटेक सरोरा को प्रदूषित करता है, लेकिन कोई नहीं आता। स्वच्छ भारत बनाना चाहते है। हमारा बीरगांव एक नंबर पर आया है। हमारे गांव को स्वस्थ बनाना चाहिये। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पर्यावरण के विषय में ध्यान दें।

15. श्री लीलाधर साहू ने कहा कि
हम गांव वाले 7,000 रूपये में बात करके आयेंगे और बाहर वाले 6,000 रूपये में बात करके आयेंगे, ऐसा क्यों ?

16. श्री पी.के.शर्मा (डायरेक्टर मेसर्स कृष्णा ऑयरन स्ट्रिप्स एण्ड ट्यूब्स प्रा.लि.) ने कहा कि
हमारे द्वारा 90 प्रतिशत उत्पादन बिजली से किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत उत्पादन ही कोयले से करेंगें। हमारे उद्योग से कोई दूषित जल नहीं निकलता है। 1995 से हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हुई है, तब बड़े–बड़े गढ्डे थे। अब डामरीकरण हो चुका है। ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, जिससे स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़े। रूपये 5,00,000 की राशि गांव वाले जहां बोलेंगें वहां खर्च की जावेगी। इसके अलावा भी जो हो सकेगा वह सहयोग किया जावेगा। सरोरा के स्कूल के लिये भी कुछ करना चाहते है। हम चाहते है कि सरोरा को कृष्णा ऑयरन के नाम से जाना जावे। कर्मचारियों को ई.एस.आई.सी. की सुविधा दी गई है, जिससे परिवार भी सुरक्षित रहता है।

अंत में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव द्वारा जन सामान्य को सुझाव एवं आपत्ति होने पर मौखिक एवं लिखित सूचना देने हेतु पुनः कहा गया। यह लोकसुनवाई दोपहर लगभग 12:00 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 01:40 बजे समाप्त हुई। लोकसुनवाई के पूर्व, दौरान एवं लोकसुनवाई के पश्चात् लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुये। संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,